

धारा 4(1)(बी), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एआईसी की
जानकारी

14.07.2023 को अद्यतित

धारा 4 (1) बी (i) संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण

भारत सरकार के तत्वावधान में कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआईसी) का गठन माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2002-03 के अपने आम बजट भाषण में घोषणा के परिणामस्वरूप किया गया है। किसानों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने और एक स्थायी बीमांकिक शासन की ओर बढ़ने के लिए, कृषि बीमा के लिए एक नया निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था।

कंपनी का दो स्तरीय संगठनात्मक ढांचा है जिसमें पंजीकृत प्रधान कार्यालय के अलावा 18 राज्यों की राजधानियों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। प्रधान कार्यालय- प्लेट बी एंड सी, 5वीं मंजिल, ब्लॉक 1, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023 और ई-मेल:- aicho@aicofindia.com है।

व्यवसाय की प्रकृति: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) और कृषि, ग्रामीण और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित बीमा उत्पादों का कार्यान्वयन।

कंपनी की गतिविधियां द्वारा नियंत्रित होती हैं

क) बीमा अधिनियम, 1938,

ख) बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा बनाए गए विनियम और साथ ही आईआरडीए द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश,

ग) कंपनी अधिनियम, 1956,

घ) इस समय लागू अन्य प्रासंगिक कानून।

कंपनी के प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण क्रमशः वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन हैं।

नज़र

ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता लाकर राष्ट्र की आर्थिक गति को तेज करना।

सभी कृषि और संबद्ध जोखिमों के लिए ग्रामीण-उन्मुख और किसान हितैषी बीमा उत्पाद का नवाचार और विकास करना।

प्राकृतिक खतरों और जोखिमों से कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर एक सुरक्षात्मक कवच स्थापित करना।

मिशन

किसानों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि बीमा उत्पादों को वैज्ञानिक आधार और ठोस बीमा सिद्धांतों पर डिजाइन और विकसित किया जाना चाहिए।


कृषि बीमा की सुपुर्दगी और सेवा में सुधार करना ताकि आर्थिक और प्रभावी तरीके से दूर-दराज के और सबसे गरीब किसानों को अपनी छत्रछाया में लाया जा सके।

प्रमुख जोखिम न्यूनीकरण उपकरण के रूप में कृषि बीमा के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना और इस प्रकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक प्रभावी कवच के रूप में स्थापित करना।

धारा 4(1)(बी)(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवसाय और प्रशासनिक संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जो कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लिखित उद्देश्यों और बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य कंपनी के एसोसिएशन के लेखों से लिए गए हैं, और नौकरी के विवरण, नियमावली, नियुक्ति के नियम और शर्तों और प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल द्वारा नियंत्रित होते हैं।



धारा 4(1)(बी)(iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं

कंपनी की निर्णय लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

निदेशक मंडल → वरिष्ठ प्रबंधन → क्षेत्रीय कार्यालय।

कंपनी का समग्र प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल में निहित है। निदेशक मंडल कंपनी के भीतर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।

धारा 4(1)(बी)(iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड

कंपनी के कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों पर आधारित होते हैं जो कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं।

धारा 4(1)(बी)(v) नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं

1. कंपनी मामलों से संबंधित मामले

क) मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन

ख) समय-समय पर बोर्ड के निदेशक मंडल और उप-समितियों का निर्णय।

ग) वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का निर्णय।

2. वित्त और लेखा से संबंधित मामले

क) लेखा नियमावली

ख) वित्तीय स्थायी आदेश।

ग) खरीद मैनुअल

3. एआईसी कर्मचारियों से संबंधित कार्मिक मामले (समय-समय पर संशोधित)

क) कार्मिक नियमावली

ख) अवकाश नियम

ग) पदोन्नति नीति

घ) कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम 1975

धारा 4(1)(बी)(vi) दस्तावेजों की श्रेणियों का एक विवरण जो उसके नियंत्रण में या उसके अधीन हैं

1. निगमन, लाइसेंस आदि से संबंधित दस्तावेज।

क) मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन

ख) निगमन का प्रमाण पत्र

ग) आईआरडीए लाइसेंस

2. खातों से संबंधित दस्तावेज

क) लेखा नियमावली

ख) वाउचर

ग) खातों की पुस्तकें

घ) वार्षिक रिपोर्ट

ड.) आयकर के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, स्रोतों पर कर कटौती आदि

3. कंपनी मामलों से संबंधित दस्तावेज

क) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वैधानिक रजिस्टर

ख) अन्य लागू अधिनियमों और नियमों और विनियमों के तहत वैधानिक रजिस्टर

ग) कंपनी अधिनियम के तहत वार्षिक रिटर्न

घ) कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी रजिस्ट्रार आदि के पास दाखिल रिटर्न और फॉर्म।

4. बोर्ड बैठक और वार्षिक आम बैठक से संबंधित दस्तावेज

क) बोर्ड की बैठकों के एजेंडा पत्र

ख) निदेशक मंडल की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तक

ग) बोर्ड उप-समितियों के एजेंडा पेपर्स

घ) बोर्ड उप-समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त

ड.) वार्षिक आम बैठक की कार्यवृत्त पुस्तक और शेयरधारकों आदि की एजीएम की असाधारण सूचनाएं।

5. मानव संसाधन मामलों से संबंधित दस्तावेज

क) कार्मिक नियमावली

धारा 4(1)(बी)(vii) किसी भी व्यवस्था का विवरण जो जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है, इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सामान्य बीमा कंपनी है और इसके आंतरिक प्रबंधन से संबंधित नीतियां कंपनी के गवर्निंग स्टैच्यू, विनियमों और मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार तैयार की जाती हैं इसलिए उनके गठन से पहले जनता के साथ परामर्श की कोई व्यवस्था नहीं है।

हालाँकि, कंपनी के पास एक शिकायत निवारण प्रणाली है, जहाँ पॉलिसीधारक या भावी व्यक्ति या बीमा पॉलिसी का कोई भी लाभार्थी, कंपनी की सेवा के मानक या सेवा में कमी के बारे में किसी कार्रवाई या कार्रवाई की कमी के संबंध में, उसके निवारण के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता है। शिकायत निवारण अधिकारियों का विवरण

और उनके पते/संपर्क कंपनी की वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध हैं:
[http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/Grievance Officers.aspx](http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/Grievance%20Officers.aspx)

धारा 4(1)बी(viii) बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों की बैठकें हैं और अन्य निकाय जनता के लिए खुले हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध हैं

निम्नलिखित बोर्ड उप-समितियों का गठन किया गया है:

1. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
2. जोखिम प्रबंधन समिति
3. लेखापरीक्षा समिति
4. निवेश समिति
5. पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति
6. सीएसआर समिति
7. कार्मिक समिति
8. इन्फो टेक (आईटी) समिति
9. आचार समिति
10. व्यवसाय विविधीकरण समिति
11. पारिश्रमिक समिति

बोर्ड और समितियों की बैठकें और उनके कार्यवृत्त भी जनता के लिए खुले नहीं हैं।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी की विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने के लिए निम्नलिखित प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है:

1. दावा समिति
2. इन्फोटेक प्रबंधन समूह (परियोजना सेवा, सभी आईटी खरीद)
3. आउटसोर्सिंग समिति
4. उच्च मूल्य खरीद समिति
5. उत्पाद प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति/परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति

6. तकनीकी समिति (दावा प्रबंधन, विपणन, आईईसी, व्यवसाय विकास, पुनर्बीमा और तकनीकी मामले)
7. सामान्य प्रशासन/संपदा समिति (मानव संसाधन/संपदा एवं स्थापना/शिकायत)
8. आचार समिति - प्रबंधन
9. सीएसआर/आंतरिक लेखापरीक्षा समिति
10. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति
11. निवेश समिति
12. कार्यकारी समिति
13. नियंत्रण प्रबंधन समिति
14. सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन समिति (आईएसआरएमसी)
15. आंतरिक लेखापरीक्षा समिति

धारा 4(1)(बी)(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका कंपनी की वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध विवरण:

<https://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/LocalContacts.aspx>

धारा 4(1)(बी)(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली शामिल है कंपनी के अधिकारियों का पारिश्रमिक केंद्र सरकार (कार्यालयों की सेवाओं की वेतनमान और अन्य शर्तों का युक्तिकरण) योजना 1975; तथा, समय-समय पर संशोधित सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान और सेवाओं की अन्य शर्तों का युक्तिकरण) योजना 1974 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होता है:

श्रेणी	वेतनमान
अधिकारी	
महाप्रबंधक (Scale – VII)	Rs. 155015-4170(2)-163355-4470(1)-167825-4890(1)- 172715-5070(4)-192995

उप महाप्रबंधक (Scale – VI)	Rs. 138335-4170(8)-171695
मुख्य प्रबंधक (Scale – V)	Rs. 123605-3570(3)-134315-4020(6)-158435
प्रबंधक (Scale – IV)	Rs. 102185-3570(9)-134315
उप प्रबंधक (Scale – III)	Rs. 83425-2500(1)-85925-2710(6)-102185-3570(4)-116465
सहायक प्रबंधक (Scale – II)	Rs. 68425-2500(7)-85925-2710(6)-102185
प्रशासनिक अधिकारी (Scale – I)	Rs. 50925-2500(14)-85925-2710(4)-96765
पर्यवेक्षी और अन्य लिपिक कर्मचारी	
वरिष्ठ सहायक	Rs. 31370-2245(4)-40350-2500(15)-77850
स्टेनोग्राफर	Rs. 31370-2245(4)-40350-2500(15)-77850
सहायक और अन्य समकक्ष पद	Rs. 22405-1305(1)-23710-1425(2)-26560-1605(5)-34585-1855(2)-38295-2260(3)-45075-2345(2)-49765-2500(5)-62265
अभिलेख लिपिक	Rs. 20785-900(2)-22585-965(5)-27410-1030(1)-28440-1155(2)-30750-1275(3)-34575-1420(5)-41675-1580(9)-55895
अधीनस्थ कर्मचारी	
चालक	Rs. 20785-900(2)-22585-935(14)-35675-1030(2)-37735-1160(9)- 48175
अन्य अधीनस्थ कर्मचारी	Rs.18100-740(5)-21800-785(8)-28080-935(1)-29015-970(2)-30955-1160(9)-41395

धारा 4(1)(बी)(xi) अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाता है
आज की तारीख में, कंपनी के पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसे उसने कोई बजट आवंटित किया हो।

धारा 4(1)(बी)(xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है

कंपनी ने स्वयं (अर्थात् अपने स्वयं के धन से) कोई सब्सिडी कार्यक्रम शुरू नहीं किया है।

हालांकि, कंपनी कुछ फसल बीमा कार्यक्रमों को लागू करती है जिन्हें केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा सब्सिडी दी जाती है। ऐसी कुछ प्रमुख योजनाएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस), कॉफी के लिए वर्षा बीमा योजना (आरआईएससी), और अन्य बीमा योजनाएं हैं। हमारे द्वारा कार्यान्वित अन्य बीमा योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी कंपनी की वेबसाइट

<https://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/default.aspx>

पर उपलब्ध है।

अधिक विवरण कंपनी की वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध हैं:

<https://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/BusinessProfileAllIndia.aspx>

धारा 4(1)(बी)(xiii) इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

हमारे द्वारा कोई रियायत, परमिट या प्राधिकरण नहीं दी गई है।

धारा 4(1)(बी)(xiv) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण।

1. कंपनी प्रोफाइल
2. निदेशक मंडल
3. चैनल पार्टनर
4. बिजनेस प्रोफाइल
5. नोटिस और निविदाएं
6. वार्षिक रिपोर्ट।
7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत सूचना
8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन और उनके जवाब
9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपील और उनके जवाब

धारा 4(1)(बी)(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है।

स्थान का नाम और पता: मीटिंग कक्ष, प्लेट बी एंड सी, 5वीं मंजिल, ब्लॉक 1,
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023

दस्तावेज़ का नाम: धारा 4(1)(बी), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
एआईसी की जानकारी (अंग्रेजी और हिंदी में मुद्रित प्रारूप में
उपलब्ध)

सूचना पुस्तिका निःशुल्क उपलब्ध है।

कार्य समय:

प्रातः 10.00 बजे शाम 5.45 बजे तक - सोमवार से गुरुवार

प्रातः 10.00 बजे शाम 6.00 बजे तक - शुक्रवार।

संपर्क करें: श्रीमती शालिनी कुमारी, सी.पी.आई.ओ. और सहायक प्रबंधक (विधि
विभाग) (पूर्व नियुक्ति लेनी होगी)

संपर्क विवरण: फोन नंबर: 011-24600431, ईमेल आईडी: shalinis@aicofindia.com

धारा 4 (1) (बी) (xvii) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है; और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अपडेट करें

एआईसी द्वारा कार्यान्वित योजनाएं

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

<https://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/pmfby-op-guidelines.aspx>

2. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

<https://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/wbcis-op-guidelines.aspx>

3. अन्य फसल बीमा उत्पाद

<https://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/other-crop-ins-products.aspx>

परामर्श समिति और पीआईओ और एफएए समिति

https://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/RTI_Home.aspx

सीपीआईओस, एफएएस और नोडल अधिकारी का नाम और विवरण

https://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/RTI_Home.aspx

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों और प्रदान की गई जानकारी का विवरण एआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे यहां देखा जा सकता है: https://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/RTI_Home.aspx

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन्हें यहां देखा जा सकता है:

https://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/RTI_Home.aspx

धारा 4 (2): कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ लघु अथवा अधिक अनुशासनात्मक कार्रवाई:

(i) लंबित है: वर्ष 2022-23 में कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है।

(ii) निर्णीत है: वर्ष 2022-23 में कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है।